



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन )

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/ट्रेनिंग/2021

परिपत्र क्रमांक 32/2021

दिनांक 3 मई 2021

सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रमुख

विषय: शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए मुफ्त ऑनलाइन सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

प्रिय प्रधानाचार्य,

सीबीएसई की ओर से अभिवादन!

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों की दक्षताओं को अद्यतन करने का अवसर प्रदान करने और उन्हें इस कोविड महामारी की स्थिति के दौरान तनाव मुक्त बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड उन्हें सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) में शामिल होने का सुझाव देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि शिक्षक और प्रधानाचार्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी रुचियों से प्रेरित अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 घंटे सीपीडी के अवसरों में भाग लें।

इस संदर्भ में बोर्ड ने शिक्षकों के लिए मई-2021 माह से निशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक सत्र की अवधि एक घंटे की होगी। सत्र शिक्षण-अधिगम पद्धतियों, अभिनव शिक्षाशास्त्र, कक्षाओं और दैनिक जीवन में जीवन कौशल का एकीकरण, कक्षाओं में कला, खेल और आईसीटी का एकीकरण, मिश्रित अधिगम, 21वीं सदी के कौशल, बाल मनोविज्ञान, साइबर सुरक्षा और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सत्रों का विवरण बोर्ड के प्रशिक्षण पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

सीबीएसई परिवार के लगभग 10 लाख शिक्षकों की जरूरतों, रुचि, विशेषज्ञता के क्षेत्र और अर्जित दक्षताओं के आधार पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों की योजना बनाई गई है। अतः यह सलाह दी जाती है कि शिक्षकों को सबसे उपयुक्त सत्र चुनना चाहिए और ऑनलाइन प्रमाणपत्र संग्रह की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। उपयुक्त सत्रों के चयन की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए, एक प्रावधान किया गया है कि "एक शिक्षक बोर्ड के विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा निर्धारित सभी सत्रों में से प्रति माह दो मुफ्त सत्रों के लिए योग्य है।"

निशुल्क ऑनलाइन सत्र के लिए पंजीकरण सीबीएसई प्रशिक्षण पोर्टल पर ही लिया जाएगा। पंजीकरण और भागीदारी की प्रक्रिया **अनुलग्नक - अ** में दी गई है।

अतः बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि वे अपने शिक्षकों का एक व्यापक "प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण" आयोजित करें और उन्हें सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित सबसे उपयुक्त सत्रों में नामांकन करने का सुझाव दें।

किए गए भुगतान सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

विश्वजित साहा

डा. बिस्वजीत साहा

निदेशक (कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण)



'शिक्षा सदन', 17, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi - 110002



प्रति :

नीचे उल्लिखित सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति।

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110 054
4. लोक निर्देश निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
8. निदेशक, केंद्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी
9. सभी राज्यों के निदेशक (शिक्षा)
10. सभी राज्यों के सचिव (विद्यालय शिक्षा)
11. डॉ. पी के साहू, अवर सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ईएमआरएसडी डिवीज़न
12. सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
13. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (ए पी एस के पास), दिल्ली कैंट -110010
14. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों के बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को भेजने के अनुरोध के साथ।
15. सभी प्रमुखों/ प्रभारियों, उत्कृष्टता केंद्र, सीबीएसई को यह सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ
16. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)/ संयुक्त सचिव (शैक्षणिक)
17. सीबीएसई के सभी संयुक्त सचिव/उपसचिव/सहायक सचिव
18. प्रभारी आईटी एकक को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ
19. जन संपर्क अधिकारी, सीबीएसई
20. अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
21. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
22. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (जैब) के वरिष्ठ निजी सचिव
25. निदेशक (सीटीईटी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
26. निदेशक (एडुसेट), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
27. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
28. निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव



‘शिक्षा सदन’, 17 राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली –110002

‘ShikshaSadan’, 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002



- e-mail:

## पंजीकरण हेतु

- निशुल्क सत्र के लिए पंजीकरण लिंक:  
<https://cbseit.in/cbse/training/onlineprog.aspx>
- आप निम्न स्क्रीन पर पहुँच जायेंगे:



- “Click here to register for free online session” पर क्लिक करें।
- निःशुल्क ऑनलाइन सत्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि भुगतान किए गए ऑनलाइन सत्रों के लिए होती है।

## सत्र के संचालन के लिए

- भागीदारी लिंक निर्देशों के साथ संबंधित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) द्वारा भेजा जाएगा।
- संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र के निर्देशों के अनुसार अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए सत्र में भाग लें। (पंजीकरण के समय दो बार ईमेल आईडी की जांच करें)
- प्रत्येक सत्र के अंत में एक ‘LINK for Assessment’ साझा किया जाएगा, जिसमें सत्रों की सामग्री से संबंधित कुछ प्रश्न उपलब्ध होंगे। मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण पोर्टल पर आपकी उपस्थिति अगले दो कार्य दिवसों में उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- इन सत्रों का मंच सिस्को-वेबेक्स होगा।

## प्रमाण पत्र के लिए

- अपना प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए आपको प्रशिक्षण पोर्टल पर फीडबैक फॉर्म जमा करना होगा।

## पूछताछ के लिए

- सत्र/प्रमाणपत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया संबंधित उत्कृष्टता केन्द्रों से <https://cbseit.in/cbse/training/contactus.aspx> पर दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें।
- कृपया समय पर प्रतिक्रिया के लिए ईमेल में अपना नाम, स्कूल का नाम, सत्र का विषय, सत्र का समय और तिथि का उल्लेख करें।

नोट : हिंदी परिपत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी परिपत्र को अंतिम माना जाए।